

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून  
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001  
दूरभाष:0135-2650809  
फैक्स.0135-2653010  
ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./09/39/2023/एफ.सी./86

दिनांक:28/04/2023

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी घोषण संख्या-314/2018 जनपद- पिथौरागढ़ में डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हेलीपैड के निर्माण हेतु 0.15 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. **FP/UK/OTHERS/146642/2021**)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **2085/FP/UK/OTHERS/146642/2021** दिनांक 03.03.2023 (Received online on 29.03.2023)


महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हेलीपैड के निर्माण हेतु दिशा-निर्देशों (comprehensive guidelines) में कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं हैं साथ ही अमुख प्रस्ताव के साइट विशिष्ट (site specific activity) होने से संबंधित कोई तकनीकी औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित गतिविधि गैर साइट विशिष्ट (non-site specific activity) है तथा दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफ०सी०ए० 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है:-

*“Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site-specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980”.*

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु गैर-वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)  
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)  
सहायक महानिरीक्षक (वन)